न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 19/2024

देवादास पुत्र श्रीरामदास जाति स्वामी निवासी कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. गोविन्दसिंह पुत्र नवलसिंह जाति राजपुत निवासी कातर छोटी तहसील बीदासर जिलाचूरू
2. चन्दा पत्नि विरेन्द्र जाति जाट निवासी गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. सिद्वार्थ पुत्र विरेन्द्र जाति जाट निवासी गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. सौरभ पुत्र विरेन्द्र जाति जाट निवासी गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू
5. सन्तोष देवी पत्नि राजेन्द्र जाति जाट निवासी गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू
6. मानवेन्द्रसिंह पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू
7. सोमेन्द्रसिंह पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू
8. उप पंजियक अधिकारी बीदासर जिला चूरू
9. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

1. मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी
2. प्रेम सैनी एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 7
3. पेरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांकः– 12-11-2024

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 7 सात के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 492/271 चार सो बानवे बट्टा दो सो इकहतर तादादी 3.2881 तीन दशमलव दो आठ आठ एक हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी 98075/102752 अठानवे हजार पचहतर बट्टा एक लाख दो हजार सात सो बावन हिस्सा भूमि का खातेदार कृषक है। जिसे आगे वादगत भूमि कहा गया है। वादगत भूमि का मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 7 सात की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 7 सात अपने–अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 7 सात का खान–पान, रहन–सहन अलग–अलग है। वादगत भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादी

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 10.04.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 7 सात से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक–पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 7 सात साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 7 सात ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विकय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 7 सात को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 7 सात अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 7 सात को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विकय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 7 सात की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 9 नो के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा को तस्दीक किया गया। वादी की पहचान मनोज गोदारा एडवोकेट ने की व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की पहचान प्रेम सैनी एडवोकेट ने की। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वकुलान की बहस सुनी गई। वकुलान ने

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को अंतिम रूप से डिक्री करने का निवेदन किया।

वकुलान की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। चूँकी सभी पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश कर दावा का निस्तारण राजीनामा अनुसार करने का निवेदन किया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। पक्षकारान् कब्जा काश्त के आधार पर राजीनामा अनुसार वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहते है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

अतः पक्षकारान् का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम कातर छोटी के खसरा संख्या 492/271 तादादी 3.2881 हेक्टेयर में सें उतरी पश्चिमी कोने की 0.1265 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के संयुक्त नाम से अपने हिस्सा अनुसार अलग खातेदारी में दर्ज कर लगान का विभाजन किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के चिपती ही पूर्वी साईड में 0.0232 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से अलग खातेदारी में दर्ज कर लगान का विभाजन किया जावे। शेष भूमि तादादी 3.1384 हेक्टेयर वादी के नाम से अलग खातेदारी में दर्ज कर लगान का विभाजन किया जावे। सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम की जावे। उपरोक्तानुसार लगान का विभाजन कर तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। इस हेतु अंतिम डिक्री जारी हो। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 12-11-2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर